

प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणिकरण)

क्रमांक 51
5372

श्रीगुरुजी विद्यालय, शोपुर

मध्य प्रदेश

2928 /
प्रमाणिकरण/08/18/21

5-3-84/2325/08/08/18/21 के अंतर्गत

श्रीगुरुजी विद्यालय, श्रीगुरुजी नगर, जिला/तहसील अजापुरा

उक्त विद्यालय की प्रमाणिकरण की अधिसूचना क्र. एक 8-5-1984/2325/84, दिनांक 25 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिसूचित किया है।

श्री/या उक्त विद्यालय के नाम पर मध्य प्रदेश के प्रमाणिकरण में विद्यमान है।

उक्त विद्यालय के नाम पर प्रमाणिकरण (प्रमाणिकरण) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत प्रमाणिकरण के लिए प्रमाणिकरण विभाग के परिपत्र क्र. 360/222/93/2325 (एन.टी.टी.)

दिनांक 2 मार्च, 1984 के साथ संलग्न परिपत्र "4" की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणिकरण विभाग द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया है कि श्री/या उक्त विद्यालय के नाम पर प्रमाणिकरण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत प्रमाणिकरण के लिए प्रमाणिकरण विभाग के परिपत्र क्र. 360/222/93/2325 (एन.टी.टी.)

3. यह भी अधिसूचित किया गया है कि ना मध्य प्रदेश राज्य में दिनांक 2 मार्च, 1984 के साथ संलग्न परिपत्र "4" की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।



हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
मध्य प्रदेश

ऑफसेट पुरानी कचहरी के सामने इयोपुर 220246

प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय का नाम

प. 5/2318 / 1312/107 08 दि. 1.9.08

दिनांक 1.9.08

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी हमका थाकड (मागर)

आत्मज/आत्मजा/पति हुकमलाल थाकड निवासी डीजापुरा

जिला डीजा राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के लिये निर्धारित मापदण्ड

की निम्न कडिका क्र० 1.2 एवं क्र० 2.3 पूर्ण करने के कारण मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

135 20/572
हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुद्रा

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड

- 1.1 वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है। हुई है, अथवा
- 1.2 वह स्वयं अथवा उसका पालक/रक्षक अथवा अतिरिक्त मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर रह रहा है, अथवा
- 1.3 उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवार्थक या सेवा निवृत्त कर्मचारी है, अथवा
- 1.4 उसके पालकों में से कोई मध्यप्रदेश में सेवार्थक केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, अथवा
- 1.5 वह स्वयं/उसके पालक का राज्य में पिछले वर्षों से अचल संपत्ति/उद्योग/व्यवसाय है एवं इसके अतिरिक्त :-
- 2.1 उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अधिभूजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। में स्थित शिक्षण से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है। अथवा
- 2.2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा, एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इन्टर मीट्रिक, हायर सेकेंडरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो 8 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा
- 2.3 अन्य मामलों में प्राथमिकी की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- 3 परन्तु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2.1 से 2.3 मध्यप्रदेश से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नहीं। :-
- 3.1 वह अंध/मूक/बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण की है, अथवा
- 3.2 वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्यप्रदेश के स्थानीय की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है, अथवा
- 3.3 वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्रमांक 1.2 की पूर्ति करते हैं एवं वह शिक्षित हैं। अथवा
- 3.4 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान है एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
- 4 वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है-
 - 4.1 मध्यप्रदेश को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की संतान/पत्नी/पति है अथवा
 - 4.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालों की पत्नी/पति है अथवा
 - 4.3 मध्यप्रदेश में संवैधानिक या विधिक पदों पर महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान/पत्नी/पति है।